

5/6/18


पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 5/6/18
के स्थान पर दिनांक 7/6/18 को राजस्व लोक
अदालत बेंच स्थान कोनरा के
समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पक्षकारान सुनिश्चित हों।

सहायक कलेक्टर (SDO), चोहदम

7-6-18

पत्रावली ज्ञान राजस्व लोक अदालत द्वारा जारी की गई है।
2018 के केम्प कोनरा में पेश हुई। बाकी वकील
व बाकी सं 6 के केम्प में उपस्थित होकर शर्जीनामा
पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में हमारे
शर्जीनामा ही जमा है। मगर इस वाद की जरिमे
शर्जीनामा बिना फामाया गव्वे। शर्जीनामा
स्वीकार कर इस वाद में काजामों का प्रवाही
जरिमे शर्जीनामा इत्यादि स्तर पर पुमात की
जाती है। पत्रावली पत्रावली नुसार होकर दाखिल
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चोहदम



Handwritten signature and scribbles in blue ink.